

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ
दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019
(2019 का 10)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 दिसम्बर, 2019

फाइल संख्या: 6-14/2019 – बीबीएंडपीए- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24वां) की धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (ख) के उप खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित, धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2003 (2003 का 4) में संशोधन करने के लिए एतत्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 10) कहा जाएगा।
(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4), की अनुसूची I में, कॉलम "समापन प्रभार" के नीचे, शब्द और संख्या - "क) रु 0.06 (छह पैसे केवल) प्रति मिनट 01 अक्टूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2019 तक; और (ख) 0 (शून्य) 01 जनवरी 2020 से लागू", की जगह पर शब्द और संख्या - "क) रु 0.06 (छह पैसे केवल) प्रति मिनट 01 अक्टूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2020 तक; और (ख) 0 (शून्य) 01 जनवरी 2021 से लागू" - प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एसओ के० गुप्ता)
सचिव

टिप्पण 1 : मूल विनियमों को दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 (2003 का 4) की फाइल संख्या 409-5/2003- एफएन के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा उत्तरवर्ती संशोधनों को निम्नवत अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था —

- (i) दिनांक 25 नवम्बर, 2003 का 409-5/2003- एफएन (2003 का 5) (पहला संशोधन);
- (ii) दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 का 409-5/2003- एफएन (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);
- (iii) दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 का 409-5/2003- एफएन (2003 का 7) (तीसरा संशोधन);
- (iv) दिनांक 06 जनवरी, 2005 का 409-8/2004- एफएन (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
- (v) दिनांक 11 अप्रैल, 2005 का 409-8/2004- एफएन (2005 का 7) (पांचवां संशोधन), जिसे वर्ष 2005 की अपील संख्या 7 पर माननीय टीडीसैट ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2005 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया था;
- (vi) दिनांक 23 फरवरी, 2006 का 409-5/2005- एफएन (2006 का 1) (छठा संशोधन);
- (vii) दिनांक 10 मार्च, 2006 का 409-5/2005- एफएन (2006 का 2) (सातवां संशोधन);
- (viii) दिनांक 21 मार्च, 2007 का 409-2/2007- एफएन (2007 का 2) (आठवां संशोधन);
- (ix) दिनांक 27 मार्च, 2008 का 409-22/2007- एफएन (2008 का 2) (नौवां संशोधन);
- (x) दिनांक 09 मार्च, 2009 का 409-12/2008- एफएन (2009 का 2) (दसवां संशोधन);
- (xi) दिनांक 23 फरवरी, 2015 का 409-8/2014- एनएसएल-1 (2015 का 1) (ग्यारहवां संशोधन);
- (xii) दिनांक 24 फरवरी, 2015 का 409-8/2014- एनएसएल-1 (2015 का 2) (बारहवां संशोधन);
- (xiii) दिनांक 19 सितम्बर, 2017 का 10-8/2016- बीबीएंडपीए (2017 का 5) (तेहरवां संशोधन);
- (xiv) दिनांक 12 जनवरी, 2018 का 10-8/2016- बीबीएंडपीए (2018 का 2) (चौदहवां संशोधन);

टिप्पण 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019, (2019 का 10) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या की गई है।

“दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019” का व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. अंतरसंयोजन

1. अंतरसंयोजन उपभोक्ताओं के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क को अन्य सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क तक पहुंचना संभव बनाता है। दूरसंचार क्षेत्र की प्रभावी प्रतिस्पर्धा और क्रमिक विकास के लिए, यह आवश्यक है कि एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ता, सेवा और नेटवर्क अन्य सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क तक इष्टतम ढंग से पहुंच प्राप्त कर सकें।
2. अधिक व्यापक अर्थ में, अंतरसंयोजन शब्द ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्था से संबंधित है, जिसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) अपने उपकरणों, नेटवर्क और सेवाओं को ऐसे जोड़ते हैं ताकि अपने उपभोक्ताओं को अन्य टीएसपी के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क तक पहुंचाया जा सके। अंतरसंयोजन व्यवहार्य प्रतिस्पर्धा का आधार है जो परिणामतः दूरसंचार क्षेत्र में क्रमिक विकास और नवीनता का मुख्य चालक है।

ख. दूरसंचार सेवाओं के खुदरा प्रभार के लिए प्रणालियां

3. दूरसंचार सेवाओं के खुदरा प्रभार के लिए मुख्यतः दो प्रणालियां हैं जिनकी रूपरेखा नीचे दी गई है:
 - (i) रिसीविंग पार्टी पे (आरपीपी) प्रणाली: आरपीपी प्रणाली के तहत, वह पक्ष जिसे कॉल की गई है वो भी कॉल के लिए भुगतान करता है।
 - (ii) कॉलिंग पार्टी पे (सीपीपी) प्रणाली: सीपीपी प्रणाली के तहत, कॉल करने वाला पक्ष कॉल के लिए अपने सेवा प्रदाता को भुगतान करता है, जबकि जिसे कॉल की गई है उसे कॉल के लिए भुगतान नहीं करना होता है।
4. सीपीपी प्रणाली में, टीएसपी के बीच थोक निपटारे के लिए निम्नवत दोनों प्रणालियां में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है:
 - (iii) कॉलिंग पार्टी नेटवर्क पे (सीपीएनपी) प्रणाली: सीपीएनपी प्रणाली के तहत, थोक स्तर पर, कॉल प्रारंभकर्ता उपभोक्ता का टीएसपी, कॉल समापक उपभोक्ता के टीएसपी को प्रभार का भुगतान करता है; और
 - (iv) बिल एंड कीप (बीएके) प्रणाली: बीएके प्रणाली के तहत टीएसपी को एक-दूसरे के समापन प्रभार का भुगतान नहीं करना होता अर्थात् शून्य समापन प्रभार।

ग. अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

5. अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) एक इष्टतम अंतरसंयोजन को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कॉल को सृजित करने, समापन करने, संवाहित करने, कॉल को ले जाने के लिए एक टीएसपी द्वारा दूसरे टीएसपी को भुगतान किए जाने वाले थोक प्रभारों को इंगित करता है। आईयूसी के विभिन्न घटकों अर्थात् कॉल समापन, कॉल को ले जाने, संवाहित करने तथा कॉल को प्रारंभ करने के प्रभार का नीचे संक्षेप में ब्योरा दिया गया है:

(1) कॉल समापन प्रभार

6. कॉल समापन प्रभार, ऐसे थोक प्रभार हैं जिसका भुगतान कॉल को आरंभ करने वाले उपभोक्ता के सेवा प्रदाता द्वारा उस सेवा प्रदाता को किया जाता है जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है। सामान्यतः कॉलिंग पार्टी पे (सीपीपी) प्रणाली में खुदरा टैरिफ के अनुसार, कॉल करने वाला उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाता को की गई कॉल के लिए भुगतान करता है और कॉल करने वाले उपभोक्ता का सेवा प्रदाता को अंतरसंयोजन/नेटवर्क उपयोग लागत को कवर करने के लिए कॉल समापन प्रभार, यदि कोई हो तो, का भुगतान कॉल किए गए उपभोक्ता के सेवा प्रदाता को करता है।

(2) कैरिज प्रभार

7. भारत में एक्सेस सेवा प्रदाता, केवल अधिकृत लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में ही सेवाएं प्रदान की पेशकश कर सकता है, जिसे सर्किल के नाम से भी जाना जाता है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, अंतर-सर्किल 'ट्रैफिक' को एक राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक (एनएलडीओ) के माध्यम से रूट किया जाता है। अंतर-सर्किल कॉलों को ले जाने के भुगतान को पूरा करने के लिए, एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा एनएलडीओ को किए जाने वाला भुगतान, को कैरिज प्रभार कहा गया है।

(3) ट्रांजिट प्रभार

8. जब दो दूरसंचार नेटवर्क प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं होते हैं, तो वे टर्मिनेटिंग नेटवर्क तक कॉल को ले जाने के लिए एक अंतर्वर्ती नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। जिसे अंतर्वर्ती नेटवर्क को टर्मिनेटिंग नेटवर्क कहा जाता है, और अंतरसंयोजन/नेटवर्क उपयोग प्रभार लागतों को पूरा करने के लिए भुगतान किए जाने वाले थोक प्रभारों को ट्रांजिट प्रभार कहा जाता है।

(4) ओरिजिनेशन प्रभार

9. सामान्यतः कॉल करने वाला उपभोक्ता लागू टैरिफ के अनुसार अपने स्वयं के सेवा प्रदाता को कॉल का भुगतान करता है। इस प्रकार से संग्रहित की गई राशि से, कॉल आरंभ करने वाले उपभोक्ता का सेवा प्रदाता, कॉल किए गए पक्ष के सेवा प्रदाता को कॉल समापन प्रभार तथा कैरिज (अंतर-सर्किल कॉल के मामले में)/एनएलडीओ को ट्रांजिट प्रभार/ट्रांजिट सेवा प्रदाता को भुगतान करता है। शेष राशि जिसे कॉल करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, जिसमें कॉल को प्रारंभ करने की लागत भी शामिल है, इसे कॉल को प्रारंभ करने की लागत कहते हैं। भारत में, कॉल को प्रारंभ करने की लागत को विनियमित नहीं किया गया है और इसलिए यह 'फॉरबीयर्स' में है।

घ. भारत में घरेलू कॉल समापन प्रभारों हेतु आईयूसी ढांचे का उद्भव

10. प्रारंभ में, जब भारत वर्ष में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) दूरसंचार सेवाओं का एकमात्र प्रदाता था, उस समय टीएसपी के बीच राजस्व साझेदारी की आवश्यकता नहीं थी। इसके पश्चात्, जब दूरसंचार बाजार को लाइसेंसधारियों के लिए खोला गया, तो कॉल पूरा करने में एक से अधिक सेवा प्रदाता शामिल हो सकते थे। इसने राजस्व सहभागिता प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें टीएसपी के बीच दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व को साझा करने के लिए एक पद्धति निर्धारित की जानी थी। इसलिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा "दूरसंचार अंतरसंयोजन (राजस्व सहभागिता संबंधी प्रभार) विनियम, 1999 के माध्यम से राजस्व सहभागिता प्रणाली को स्थापित किया गया था। इन विनियमों के माध्यम से, एक मोबाइल सेवा प्रदाता के नेटवर्क से आरंभ होने वाली कॉल जो कि बेसिक सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर समाप्त होती थी, सेवा प्रदाता के लिए राजस्व साझेदारी की व्यवस्था को विनिर्दिष्ट किया गया था। राजस्व साझा करने की व्यवस्था को एक्सेस सेवा प्रदाताओं (मोबाइल और फिक्सड दोनों) और लंबी दूरी/लंबी दूरी की कॉल को संवाहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के बीच भी निर्धारित किया गया था। उस समय, मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए भी भुगतान करना पड़ता था अर्थात् मोबाइल सेवाओं के लिए आरपीपी प्रणाली लागू थी।
11. प्राधिकरण द्वारा सीपीपी प्रणाली की नींव दिनांक 24 जनवरी, 2003 के दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1) के माध्यम से रखी गई थी। यह विनियम 01 मई, 2003 से प्रभावी हो गया था। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि देश में दूरसंचार सेवाओं के क्रमिक विकास के लिए सीपीपी प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विनियम के अनुसार, आईयूसी कॉल प्रारंभ या समापन किए जाने वाले नेटवर्क के और एक कॉल द्वारा एक छोर से दूसरे छोर तक तय की गई दूरी पर आधारित था। तथापि, इसके कार्यान्वयन के दौरान, इस आईयूसी प्रणाली के संबंध में विभिन्न चिंताएं जैसे कि समय के साथ इस प्रणाली की स्थिरता, दिनांक 24 जनवरी, 2003 के आईयूसी विनियम की विभिन्न अनुसूचियों के बीच संगतता आदि मुद्दों को सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाया गया था। आईयूसी प्रणाली को और बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 24 जनवरी, 2003 के विनियम को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 को एक संशोधित आईयूसी विनियम जारी किया। यह विनियम 01 फरवरी, 2004 से लागू हो गया। वर्तमान में, यह विनियम मूल आईयूसी विनियम है। इस विनियम के माध्यम से अन्य विषयों के साथ-साथ सभी प्रकार की कॉलों यथा फिक्सड-लाइन, वॉयरलेस इन लोकल लूप, तथा फुल मोबिलिटी, में दूरी की अनपेक्षित: 0.30 रुपये प्रति मिनट का एक समान कॉल समापन प्रभार विहित किया गया था। कैरिज प्रभार, दूरी आधारित रह गए।
12. तत्पश्चात् वर्ष 2008 में आईयूसी के पुनरीक्षण के बाद, दिनांक 09 मार्च 2009 को मूल आईयूसी विनियमों में एक संशोधन को अधिसूचित किया गया। यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2009 को प्रभावी हो गया। इस संशोधन के माध्यम से, फिक्सड लाइन तथा मोबाइल नेटवर्क के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉइस कॉल के लिए कॉल समापन प्रभार को पूर्व के 0.30 रुपये प्रति मिनट के प्रभार से कम करके 0.20 रुपये प्रति मिनट कर दिया गया।
13. कुछ टीएसपी ने दिनांक 09 मार्च, 2009 के उपयुक्त संदर्भित मूल आईयूसी विनियमों में संशोधनों को माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष चुनौती दी। इस मामले में, विस्तृत सुनवाई के बाद, माननीय टीडीसैट ने दिनांक 29 सितम्बर, 2010 को अपना निर्णय पारित किया और प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह अपनी टिप्पणियों और निर्देशों के आधार पर, नए सिरे से आईयूसी को निर्धारित करने पर विचार करे। प्राधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष माननीय टीडीसैट के दिनांक 29 सितम्बर, 2010 निर्णय के विरुद्ध विभिन्न कानूनी और तकनीकी आधारों के साथ-साथ मूल कानूनी मुद्दे कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए विनियमों की वैधता को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के तहत माननीय टीडीसैट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं के, संबंध में चुनौती दी। प्राधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के

समक्ष अपील की अनुमति प्रदान करने तथा माननीय टीडीसैट द्वारा पारित दिनांक 29 सितम्बर, 2010 के निर्णय को खारिज करने का भी निवेदन किया।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त संदर्भित अपील में अपने दिनांक 29 जुलाई, 2011 के आदेश के माध्यम से प्राधिकरण को, पूंजीगत लागत को सम्मिलित करते हुए तथा बिना पूंजीगत लागत को सम्मिलित किए, आईयूसी के परिकलन को दायर करने का निदेश दिया। तदनुसार, प्राधिकरण ने दिनांक 29 अक्टूबर, 2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की। तत्पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5253/2010 तथा अन्य संबद्ध प्रकरणों में अपने दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 के आदेश के माध्यम से माना कि माननीय टीडीसैट को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करके तैयार किए गए विनियमों को चुनौती दिए जाने पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
15. चूंकि न तो माननीय टीडीसैट ने और न ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 09 मार्च, 2009 के मूल आईयूसी विनियम में संशोधन पर रोक लगाई, इस संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा आईयूसी प्रणाली में किए गए परिवर्तन लागू रहे।
16. विधिवत् परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 23 फरवरी, 2015 को "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015" जारी किया, जिसके माध्यम से दिनांक 01 मार्च, 2015 से निम्नानुसार, कॉल समापन प्रभार विहित किए गए थे:

तालिका 1.1 : "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015" के माध्यम से विहित किए गए समापन प्रभार

कॉल का स्वरूप	ट्रैफिक का स्वरूप	समापन प्रभार रुपये में
स्थानीय तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल	वॉयरलेस से वॉयरलेस	0.14 रुपये प्रति मिनट
	वॉयरलेस से वॉयरलाइन	0 (शून्य)
	वॉयरलाइन से वॉयरलाइन	0 (शून्य)
	वॉयरलाइन से वॉयरलेस	0 (शून्य)
अंतरराष्ट्रीय कॉल	वॉयरलेस और वॉयरलाइन में आने वाली अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल	0.53 रुपये प्रति मिनट

* वॉयरलेस का अभिप्राय पूर्ण मोबिलिटी, सीमित मोबिलिटी और फिक्स वॉयरलेस एक्सेस सेवाएं।

ऊ. मौजूदा आईयूसी विनियम

17. उपयुक्त संशोधनों के पश्चात्, प्राधिकरण ने दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 जारी किया, जिसके माध्यम से वॉयरलेस से वॉयरलेस स्थानीय तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के कॉल समापन प्रभार के लिए निम्नवत आईयूसी योजना को अधिसूचित किया गया था:

- क. दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक 0.06 (छह पैसे) प्रति मिनट; तथा
- ख. दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 0 (शून्य)।

18. प्राधिकरण ने समय समय पर विभिन्न लागत आधारित अथवा लागत उन्मुखी पद्धतियों जैसे फुली एलोकेटेड कॉस्ट (एफएसी), लॉग रन इंक्रिमेंटल कॉस्ट+ (एलआरआईसी+), लॉग रन इंक्रिमेंटल कॉस्ट (एलआरआईसी), प्योर एलआरआईसी आदि पर विचार करते हुए घरेलू समापन प्रभारों का पुनरीक्षण किया है। इन पद्धतियों को समवर्ती ईएम में स्पष्ट किया गया है। पिछले पुनरीक्षण के उपरांत, प्योर एलआरआईसी पद्धति का उपयोग करते हुए छह पैसा प्रति मिनट के घरेलू समापन प्रभार का परिकलन किया गया था।

च. मौजूदा पुनर्विचार की आवश्यकता

19. दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन (ईएम) में उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान, प्राधिकरण ने नोट किया की वह इस क्षेत्र में घटनाक्रमों, विशेषरूप से, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और समापन लागतों पर उनके प्रभाव पर कड़ी निगरानी रखेगा। उक्त व्याख्यात्मक ज्ञापन में, यह भी उल्लेख किया गया था कि प्राधिकरण, यदि यह आवश्यक समझे, तो विनियमों को लागू किए जाने की तिथि से एक वर्ष के बाद वॉयरलेस से वॉयरलेस पर किए गए कॉल पर लागू कॉल समापन प्रभार के लिए पूर्वोक्त उल्लिखित योजना पर पुनर्विचार कर सकता है।
20. परिणामस्वरूप, प्राधिकरण पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और ऑपरेटर्स के बीच ऑफ-नेट 'ट्रैफिक' में असंतुलन पर कड़ी निगरानी रख रहा था। पिछले दो वर्षों के दौरान, समय-समय पर, ऑपरेटर्स के बीच ऑफ-नेट ट्रैफिक और प्रौद्योगिकी-वार कॉल वॉल्यूम से संबंधित डाटा एकत्रित किए गए थे। इन आंकड़ों के विश्लेषण ने संकेत दिया कि जबकि सेवा प्रदाता और उपभोक्ता, पैकेट-स्विचिंग आधारित नई प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, तथापि अनेक उपभोक्ताओं को सर्किट स्विच नेटवर्क द्वारा

वॉइस कॉल द्वारा सेवा दी जा रही थी। इसके अलावा, जबकि एक अवधि के दौरान ऑपरेटरों के मध्य ऑफ-नेट ट्रैफिक में असंतुलन में कम हो रहा था, परंतु यह फिर भी अस्तित्व में था।

21. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने बीएके प्रणाली की अनुप्रयोजनीयता की तिथि अर्थात् वॉयरलेस से वॉयरलेस घरेलू (स्थानीय तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी) कॉलों के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के आईयूसी का पुनरीक्षण करने के लिए एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

छ. परामर्श प्रक्रिया

22. प्राधिकरण ने दिनांक 18 सितम्बर, 2019 को "अंतरसंयोजन प्रभारों का पुनरीक्षण" पर एक परामर्श पत्र को जारी किया ताकि 'बिल एंड कीप' प्रणाली अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2020 से शून्य मोबाइल कॉल समापन प्रभारों को समाप्त किए जाने के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। हितधारकों को दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 तक अपनी लिखित टिप्पणियां तथा दिनांक 01 नवम्बर, 2019 तक प्रति टिप्पणियां देने को कहा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में हितधारकों के साथ एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई, जहां विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 120 व्यक्तियों ने भागीदारी की।
23. टीएसपी, उद्योग संघों तथा अन्य हितधारकों जिनमें कंपनियां, संगठन फर्म तथा व्यक्ति विशेष शामिल हैं, से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं। हितधारकों से प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त टिप्पणियों तथा प्रति टिप्पणियों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाला गया। प्राधिकरण द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व आज तक प्राप्त की गई टिप्पणियों तथा प्रति टिप्पणियों पर विचार किया है।

ज. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियों का विश्लेषण और प्राधिकरण का मत

24. दिनांक 18 सितम्बर, 2019 के सीपी में, प्राधिकरण ने आईयूसी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हितधारकों के मत आमंत्रित किए:
- (i) क्या 'बिल और कीप' (बीएके) प्रणाली अर्थात् शून्य मोबाइल कॉल समापन प्रभार को लागू किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2020, को संशोधित करना चाहिए? यदि हाँ, तो वैकल्पिक तिथि का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाने चाहिए? औचित्य सहित अपने सुझाव दीजिए।
- (ii) घरेलू वॉयरलेस कॉल समापन प्रभारों से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।
25. मौजूदा मुद्दे की जांच करने से पूर्व, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे को तैयार करते हुए, प्राधिकरण निम्नवत दोहरे उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है, अर्थात्
- (i) **सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना**— मुक्त परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करके, सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर और उचित प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करके, उपभोक्ताओं को पर्याप्त चुनाव तथा सस्ती सेवाएं उपलब्ध करवाकर तथा सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करके; और
- (ii) **दूरसंचार क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना तथा विकास सुनिश्चित करना**— प्रौद्योगिकी तटस्थ नीति के ढांचे के भीतर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना तथा प्रचालनों में कुशलता को बढ़ावा देना।
26. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि वर्ष 2003 के बाद से, जब देश में पहली बार आईयूसी प्रणाली लागू की गई थी, आमतौर पर घरेलू कॉल समापन प्रभार निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लागत-उन्मुखी पद्धतियों का पालन किया गया है।
27. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों के विचार इस मुद्दे पर भी काफी विभाजित थे। जबकि अधिकांश टीएसपी और कुछ अन्य हितधारकों के साथ-साथ उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों ने बीएके प्रणाली की लागू तिथि अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2020 को स्थगित करने का समर्थन किया है, कुछ टीएसपी तथा उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों सहित अधिकांश अन्य हितधारकों ने बीएके प्रणाली की लागू तिथि अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2020 को स्थगित करने का विरोध किया है।
28. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का सारांश तथा उनका विश्लेषण नीचे दिया गया है:

बीएके प्रणाली को लागू करने की तिथि को स्थगित किए जाने के पक्ष में हितधारकों द्वारा दिए गए तर्क

29. बीएके प्रणाली को लागू किए जाने की लागू तिथि को स्थगित किए जाने के पक्ष में सेवा प्रदाताओं ने प्राथमिक रूप से यह तर्क दिया है कि वीओएलटीई सक्षमकारी 4जी नेटवर्कों को आरंभ किए जाने में बड़े पैमाने पर किए गए निवेश के बावजूद जिसमें 900 तथा 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को पुनः तैयार किया जाना शामिल है, देश में उपभोक्ताओं द्वारा 4जी प्रौद्योगिकी को धीमे अंगीकार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप वीओएलटीई 'ट्रैफिक' कुल वॉइस 'ट्रैफिक' का एक अत्यंत छोटा भाग है। उनके अनुसार, ऐसा इसलिए है

क्योंकि अनेक उपभोक्ता अभी भी गैर – वीओएलटीई हैंडसेट का उपयोग कर रहे हैं, चूंकि यह हैंडसेट काफी सस्ते हैं। इन हितधारकों ने यह तर्क दिया कि 2जी सक्षमकारी उपकरण उनके नेटवर्क में सबसे अधिक मात्रा में हैं और यह उनके उपभोक्ता आधार का एक बड़ा भाग हैं।

30. इन हितधारकों के अनुसार, भारत में वॉइस कॉल में, सर्किट स्विच से पैकेट स्विच (वीओएलटीई) प्रौद्योगिकी में परिवर्तित होने में अभी भी काफी समय लगेगा और यह पूरी तरह से उपभोक्ताओं द्वारा 4जी सक्षमकारी हैंडसेट उपयोग किए जाने पर निर्भर करेगी। उपभोक्ताओं की पर्याप्त डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का अभाव भी उपभोक्ताओं की 4जी में धीमे परिवर्तन में योगदान देता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि 4जी में परिवर्तन 4जी दोहरी सिम (4जी +2जी) हैंडसेट के कारण भी सीमित है।
31. इन हितधारकों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा नई प्रौद्योगिकियों को तैनात किया जाना, उन प्रौद्योगिकियों का उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने पर आश्रित है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने यह उल्लेख किया है कि, यहां तक की आज भी, प्रत्येक तिमाही में भारतीय मोबाइल उपकरण बाजार में लगभग 30 मिलियन 2जी/3जी फोन गरीब तथा निम्न आय वाले उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा, बीएसएनएल उपभोक्ताओं की लगातार वृद्धि यह दर्शाता है कि 2जी/3जी सेवाओं की मांग है। तदनुसार, उनके कहने के अनुसार, जीएसएमए के अनुसार, देश में वर्ष 2022 तक लगभग 30 प्रतिशत 2जी/3जी कनेक्शन रहेंगे। उनका यह तर्क है कि, जल्दबाजी में 2जी-3जी नेटवर्क को बंद करना औचित्यपूर्ण नहीं है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार, हर उपभोक्ता को अपने पसन्द की प्रौद्योगिकी तथा हैंडसेट के चयन करने का अधिकार है।
32. इन हितधारकों ने यह भी तर्क दिया है कि हालांकि, प्रतिशत के संदर्भ में आने वाले और बाहर जाने वाले ऑफनेट 'ट्रैफिक' के बीच असंतुलन में गिरावट आई है, लेकिन परिशुद्ध रूप से यह अभी भी पर्याप्त रूप से मौजूद है। उन्होंने तर्क दिया है कि एक टीएसपी द्वारा रिंगर के टार्डर में फेरबदल से असंतुलन में कुछ कमी आई है। उनके अनुसार, ट्रैफिक असंतुलन उपभोक्ताओं की भिन्न प्रोफाइल, टैरिफ प्लान, ऑननेट/ऑफ-नेट कॉल्स इत्यादि के लिए भिन्न टैरिफ के कारण होता है। उनके विचार में केवल 4जी ऑपरेटर के सभी उपभोक्ताओं के लिए असीमित वॉइस कॉल्स होना जारी है, उनमें पे-पर-उपयोग टैरिफ योजनाओं पर उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक कॉल करने की प्रवृत्ति है जिससे कि विषमता आती है।
33. इन हितधारकों द्वारा दिया गया एक और तर्क यह है कि चाहे आईपी अथवा गैर-आईपी नेटवर्क हो, दोनों ही मामलों में कॉल समापन पर हमेशा एक लागत जुड़ी होती है क्योंकि दोनों ही मामलों में, बिजली की लागत, टावर के किराए, स्पेक्ट्रम शुल्क आदि शामिल होता है। तदनुसार, उनका दावा है कि कॉल को पूरा करने की लागत 6 पैसे प्रति मिनट से कहीं अधिक है।
34. इन हितधारकों ने यह भी तर्क दिया है कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां सीपीपी प्रणाली में बीएके को अधिदेशित किए जाने वाला विनियम है और भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। जहां कहीं भी बीएके मौजूद है, यह उनके 'ट्रैफिक' में समरूपता के आधार पर ऑपरेटरों के बीच आपसी समझौते पर आधारित है।
35. इन हितधारकों के अनुसार, बिल एंड कीप (बीएके) न तो इंटर-ऑपरेटर ऑफ-नेट 'ट्रैफिक' असंतुलन को कम करने के लिए एक कारक है और न ही 'ट्रैफिक' समरूपता के लिए उत्प्रेरक ही है। ऐसे बाजार में जहां उपभोक्ता के पास मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सहित संपूर्ण विकल्प मौजूद है, यह आरोप लगाया जाना कि, 'ट्रैफिक' विषमता टैरिफ के अंतर के कारण है और मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा 4जी तकनीक को सही ढंग से नहीं अपनाने के कारण है, सही नहीं है।
36. इन सेवा प्रदाताओं के अनुसार, आईयूसी अपने नेटवर्क में कॉल को संवाहित करने/समापन करने के लिए एक ऑपरेटर द्वारा किए गए वास्तविक लागत की क्षतिपूर्ति है। यह लागत न तो बदलती है और न ही कॉल सृजित करने वाले ऑपरेटर द्वारा प्रभारित किए जाने वाले टैरिफ के साथ इसका कोई सह-संबंध है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने उद्धृत किया है कि नए ऑपरेटर ने स्वेच्छा से निःशुल्क वॉइस सेवाओं की पेशकश की थी, जब आईयूसी (एमटीसी) की दर 14 पैसे प्रति मिनट थी। उनके मतानुसार, प्रति मिनट वॉइस टैरिफ में लगातार कमी बाजार की शक्तियों के कारण है, और तदनुसार, वर्ष 2017 में एमटीसी दर में कमी से पहले इसे कम किया गया था। आईयूसी प्रत्येक टीएसपी के लिए सही है क्योंकि यह टीएसपी को कुछ हद तक उसके नेटवर्क में कॉल की समापन की लागत की वसूली करने की सुविधा देता है। यह उनके लिए लाभ का स्रोत नहीं है।
37. कुछ सेवा प्रदाताओं ने सिफारिश की है कि आईयूसी प्रत्येक सेवा प्रदाताओं की वास्तविक लागतों पर आधारित होना चाहिए और ऐसी लागतों में एचआर लागतें भी शामिल होनी चाहिए।
38. उपर्युक्त तर्कों के मद्देनजर, इन हितधारकों के अनुसार, बीएके प्रणाली में स्थानांतरण से पहले प्राधिकरण की अपेक्षाएं अभी भी प्राप्त नहीं की जा सकी हैं और इसलिए शून्य समापन प्रभारों के लिए लागू तिथि को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि ऑफनेट ऑउटगोइंग कॉल को प्रभारित करने के कारण 'ट्रैफिक' पैटर्न में किसी भी कृत्रिम रूप से लाई गई/अस्थायी भिन्नता को इस परामर्श के प्रयोजनार्थ अनदेखा किया जाना चाहिए।
39. एक अन्य हितधारक के अनुसार, जो उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, उपभोक्ताओं को 4 जी प्रौद्योगिकी पर स्विच करने के लिए बाध्य करना विनियम के मुख्य प्रयोजन अर्थात्, उपभोक्ताओं के चयन के अधिकार को समाप्त करता है। उपभोक्ताओं की

विभिन्न श्रेणियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए फोन का उपयोग करना चाहती हैं, और सस्ती कीमत पर विकल्प प्रदान कराना महत्वपूर्ण है। इस हितधारक के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं के पास 25 से 50 रु तक का सिर्फ वॉइस टैरिफ प्लान होना चाहिए। अभी भी कई उपभोक्ता हैं जोकि 4जी सक्षम फोन नहीं रखते हैं। इनके अनुसार 4जी नेटवर्क का ग्रामीण कवरेज अभी भी पर्याप्त नहीं है और इन क्षेत्रों के लिए इनकमिंग कॉल का राजस्व मायने रखता है।

बीएके प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक तिथि को निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड:

40. जबकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने बीएके प्रणाली के कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की मांग की है, जबकि एक सेवा प्रदाता ने इसे कम से कम तीन साल के लिए स्थगित करने की मांग की है। एक अन्य हितधारक के अनुसार, बीएके को तभी लागू किया जाना चाहिए जब टीएसपी सर्वसम्मति से सहमत हों।
41. बीएके प्रणाली के लिए लागू करने की तिथि को स्थगित करने के पक्ष में एक अन्य सेवा प्रदाता ने तर्क दिया है कि सर्किट स्विच वॉइस (2जी/ 3जी) नेटवर्क को जारी रखने की आवश्यकता है और जिस अवधि के लिए इन सेवाओं/नेटवर्कों की आवश्यकता है वह बीएके प्रणाली को लागू करने की तिथि का निर्णय लेने का आधार हो सकता है। यह आवश्यकता उपभोक्ता की उपकरणों की पसंद पर निर्भर होगी।
42. इस टीएसपी के मतानुसार, यदि आधार यह है कि 4जी वीओएलटीई नेटवर्क पर कॉल को समाप्त करने की लागत नाममात्र है, तो केवल सर्किट स्विच (सीएस) नेटवर्क पर आने वाले नेट कॉल को समाप्त करने के लिए आईयूसी होना चाहिए, जब तक कि ऐसी इनकमिंग सीएस ऑफ-नेट कॉल की संख्या पर्याप्त न हों (मानें कि इसके नेटवर्क पर समाप्त होने वाले ऑफ-नेट वॉइस मिनटों के कुल इनकमिंग का 2 प्रतिशत से अधिक हो)।
43. टीएसपी द्वारा सुझाया गया एक अन्य मानदंड सामान्य अवधि के दौरान, एक सुसंगत अवधि (मान लीजिए एक तिमाही लिए) के दौरान दो तरफा 'ट्रैफिक' में समरूपता (+/- 2 प्रतिशत की सीमा में), कॉल सृजित होने वाले भाग पर रिंगिंग टाइम की अवधि घटाने जैसे असाधारण घटनाओं को विचाराधीन किए बिना, ऑफ-नेट कॉल आदि के लिए उपभोक्ताओं से आईयूसी प्रभारित किए बिना; और 'ट्रैफिक' विषमता के मामले में टर्मिनेटिंग ऑपरेटर को कॉल की समाप्त के लिए उचित लागत मुआवजा प्रदान करने का सुझाव दिया है।
44. उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले एक अन्य हितधारक के अनुसार बीएके प्रणाली को लागू किए जाने की तिथि तब होनी चाहिए जब देश में उपभोक्ताओं के 80 प्रतिशत अथवा बाजार प्रवेश के किसी अन्य उच्च स्तर पर 4जी में स्थानांतरित हो जाएं। इस हितधारक का मानना है कि यह मील का पत्थर वर्ष 2020 के अंत तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

बीएके प्रणाली को लागू किए जाने की तिथि को स्थगित करने के विरुद्ध हितधारकों के तर्क:

45. कुछ हितधारकों के अनुसार, आईयूसी (एमटीसी) के पुनरीक्षण के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी सीपी न केवल पूरी तरह से मनमाने ढंग से जारी की गई है बल्कि कानून रूप से अमान्य है, अनावश्यक और गरीब-विरोधी है, बल्कि प्राधिकरण और निवेशक की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इन हितधारकों के मद्देनजर, बीएके के कार्यान्वयन की तिथि में किसी भी तरह का बदलाव अथवा स्थगन, प्रतिकूल रूप से विनियामक अनिश्चितता को जन्म देगा। इस तरह के बदलाव से वैध प्रत्याशा के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और, प्राधिकरण, इस प्रकार के परिवर्तन वचन विबंध के सिद्धांतों को विहित करने से विबंधित होगा।
46. उक्त हितधारकों के अनुसार, सीपी में संशोधित समाप्त प्रभार पर भी चर्चा करनी चाहिए थी और यदि ऐसी पद्धति अपनाई जाती है तो यह दिनांक 01 जनवरी, 2020 से संदाय योग्य हो सकता है। उनके अनुमानों के अनुसार, 'ट्रैफिक' मिश्रण में परिवर्तन और 'ट्रैफिक' की मात्रा में वृद्धि के कारण, समाप्त प्रभार लगभग 1 से 4 पैसे प्रति मिनट के बीच हो सकता है।
47. उक्त हितधारकों के अनुसार, बीएके के कार्यान्वयन को किसी प्रकार से आस्थगित किए जाने से मुफ्त वॉइस प्रणाली समाप्त हो जाएगी और इससे टैरिफ बढ़ने की संभावना है जो उपभोक्ता हित के विरुद्ध है। इन हितधारकों के अनुसार, बीएके वर्षों के विश्लेषण और पुनरीक्षण का परिणाम है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुछ रिपोर्टों के उद्धरणों का हवाला दिया है, जिसमें प्राधिकरण ने अनुमान लगाया था कि वर्ष 2014 से बीएके को आरंभ किया जा सकता है क्योंकि उस समय तक 'ट्रैफिक' समरूपता प्राप्त होने की संभावना थी।
48. इन हितधारकों के विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक रुझान पूरी तरह से कम समाप्त दर का समर्थन करते हैं जो बीएके की तरफ बढ़ता हुआ कदम लागू किया जा सकता है। इसके मद्देनजर 01 जनवरी 2020 से बीएके में स्थानांतरित होने के लिए प्राधिकरण का तर्क सुदृढ़ और संतुलित विचारों पर आधारित है।
49. ऐसे हितधारक, जो बीएके प्रणाली के लिए लागू होने की तिथि को स्थगित करने के विरुद्ध हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि फ्लैट दर टैरिफ आरंभ किए गए हैं, अधिक से अधिक उपभोक्ता ब्रॉडबैंड डाटा का उपयोग कर रहे हैं, और वॉइस और डाटा उपयोग दोनों कई

गुना बढ़ गए हैं। उनके अनुसार, इन सभी पहलुओं से संकेत मिलता है कि बीएके प्रणाली को 01 जनवरी 2020 से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि किसी भी विलम्ब से केवल श्रेष्ठ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधा आएगी और भारत में सभी के लिए ब्रॉडबैंड को प्राप्त किए जाने में विलम्ब होगा।

50. हितधारकों की इस श्रेणी के अनुसार, बीएके सभी उपभोक्ताओं और ऑपरेटरों सहित सभी हितधारकों को लाभान्वित करता है। इन हितधारकों के अनुसार, यह नवीनतम नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए मौजूदा ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करके नेटवर्क के आधुनिकीकरण करने की क्षमता प्रदान करता है और एक बार बीएके लागू हो जाने के बाद, सभी ऑपरेटर अंतर्निहित लागत लाभों के कारण यथा संभव शीघ्र नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने की ओर अग्रसर होंगे।
51. इन हितधारकों का तर्क है कि, विनियामक ढांचे को और अधिकाधिक आधुनिक और बेहतर प्रौद्योगिकियों की ओर तेजी से अग्रसर होने में मदद करनी चाहिए। आईयूसी की निरंतरता, टीएसपी को 2जी अथवा 3जी प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन होगी, जोकि अंततः भारतीय उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है और परिणामस्वरूप 4जी प्रौद्योगिकी को आरंभ करने को बाधित करता है। उनके अनुसार, लागत आधारित आईयूसी, मौजूदा ऑपरेटरों को अपने प्रतिस्पर्धियों से समापन प्रभार के रूप में अपनी परिचालन लागत का भाग वसूलने की अनुमति देता है।
52. इन हितधारकों ने यह भी तर्क दिया है कि मौजूदा ऑपरेटरों ने पहले से ही तैनात किए गए बुनियादी ढांचे की लागत वसूल कर ली है। इसके अलावा, वॉइस को 2जी/ 3जी नेटवर्क और वीओएलटीई नेटवर्क पर वॉइस को संवाहित करने की लागत में अंतर नगण्य हो गया है। यह ऑपरेटर जानबूझकर और सोच समझकर, वॉइस के लिए पहले विकल्प के रूप में 2जी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं ताकि समापन प्रभार प्राप्त किए जा सकें और इसके परिणामस्वरूप सृजित अप्रत्याशित लाभ से धनराशि अर्जित की जा सके।
53. इन हितधारकों के अनुसार, मौजूदा ऑपरेटरों ने जानबूझकर अपनी 2जी सेवाओं को समाप्त करने और अपने 4जी नेटवर्क में अपग्रेड करने से इनकार करते हुए, वे अपने 2जी उपभोक्ताओं का वॉइस कॉल के लिए उच्च और अत्यधिक दरों पर शुल्क अधिरोपित कर डिजिटल समाज में उनके प्रवेश के लिए दरवाजे बंद रखकर उनका शोषण कर रहे हैं। इन हितधारकों के अनुसार, मौजूदा ऑपरेटरों के डाटा का गहन विश्लेषण, सभी उपभोक्ताओं को नई प्रौद्योगिकियों और एक समान दर टैरिफ में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त प्रयास की कमी को इंगित करता है।
54. इन हितधारकों के अनुसार, जिस समय मौजूदा दूरभाष कंपनियां अपने नेटवर्क को 4जी तकनीक में अपग्रेड करते हैं, उपभोक्ता 4जी सक्षम स्मार्टफोन पर स्विच करेंगे। अगर मौजूदा ऑपरेटर अपने नेटवर्क को 4 जी तकनीक में अपग्रेड करने में ढिलाई करते हैं, तो उपभोक्ताओं को उनकी ढिलाई के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए, उन्होंने यूएसओएफ द्वारा भविष्य में की जाने वाली सभी खरीद के लिए 4जी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) के निर्णयों का हवाला दिया है। हर कोई, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्र/ कस्बे, गरीब या अमीर अथवा मध्यमवर्गीय परिवार हो, डाटा का उपयोग करना चाहता है, चाहे वह अपने परिवार के साथ संपर्क करने के लिए हो अथवा सरकारी सेवाओं का उपयोग करना हो। किन्हीं विशिष्ट उपकरणों (दोहरे सिम अथवा अन्यथा) के उपयोगकर्ताओं के एक छोटे से भाग को आईयूसी नीति नहीं चलाने देना चाहिए।
55. बीएके प्रणाली के कार्यान्वयन की तिथि को स्थगित करने के विरुद्ध अपनी धारणाओं के समर्थन में, उन्होंने तर्क दिया है कि जब प्राधिकरण ने फिक्सड लाइन नेटवर्क के तहत फिक्सड टू फिक्सड (एफ2एफ), फिक्सड टू मोबाइल (एफ2एम) तथा मोबाइल टू फिक्सड (एम2एफ) के लिए बीएके प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया, तो इसके पीछे एकमात्र विचार यह था कि बीएसएनएल/ एमटीएनएल (प्रमुख फिक्सड लाइन ऑपरेटर) ने अपने पुरातन नेटवर्क की लागत पहले ही वसूल कर ली थी। इसके लिए फिक्सड लाइन नेटवर्कों में 'ट्रैफिक' असंतुलन या ऑफ-नेट कॉल को समाप्त करने के लिए ओपेक्स के भुगतान पर कोई विचार नहीं किया गया था।
56. इन हितधारकों के मद्देनजर, ऐसी कोई विनियामकारी पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए कि जब तक कि 'ट्रैफिक' बिल्कुल मेल नहीं खाता है, तब तक बीएके प्रणाली लागू नहीं किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की पूर्व शर्त निर्धारित की जाती है, तो प्रत्येक नई दूरसंचार कंपनी के आने पर हमेशा बीएके को स्थगित करना होगा। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि असमान टैरिफ विभेदक, उपभोक्ता आधार, औसत कॉल अवधि आदि जैसे मापदंडों और 'ट्रैफिक' विषमता पर उनके प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए।
57. इन हितधारकों के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 19 सितंबर, 2017 के अपने विनियम में, एमटीसी तथा खुदरा टैरिफ को उद्ग्रहित करने के लिए 'ट्रैफिक' विषमता के कारणों का उल्लेख किया था और कहा था कि बीएके प्रणाली को इस विषमता को दूर करने के लिए जरूरी है।
58. एक टीएसपी के अनुसार, 'ट्रैफिक' विषमता पिछली कुछ तिमाहियों में तेजी से कम हुई है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान 90:10 की तुलना में वर्तमान में लगभग 60:40 पर आ गई है, और चूंकि यह तेजी से समरूपता की ओर बढ़ रही है, प्राधिकरण को पूर्ण विश्वास के साथ बीएके को पूर्व निर्धारित रूप से लागू करना चाहिए। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में सही 'ट्रैफिक' समरूपता सांख्यिकीय रूप से असंभव कार्य है। इसके क्रम में, इस टीएसपी ने पत्रों की श्रृंखला के माध्यम से, प्राधिकरण को सूचित किया है कि 'ट्रैफिक' असंतुलन

अब उलट गया है और वर्तमान में, उक्त टीएसपी के पास कुल आफ नेट आउटगोइंग 'ट्रैफिक' की तुलना में आफ नेट इनकमिंग 'ट्रैफिक' की मात्रा अधिक है।

59. इस टीएसपी के अनुसार, यदि इसके उपभोक्ताओं द्वारा परिणामी ऑफ-नेट आउटगोइंग कॉल के उच्च औसत होल्डिंग समय के साथ मिस्ड कॉल की गणना की जाती है तो इससे पता चलता है कि नेटवर्क में 'ट्रैफिक' सममित है। वहीं दूसरी ओर, यदि इन मिस्ड कॉल करने वाले उपभोक्ताओं को 23 रुपये प्रमिमाह की दर से केवल कॉल प्राप्ति हेतु प्रभारित करने की बजाय 49 रुपये प्रति माह की दर से निःशुल्क कॉल करने का अवसर प्रदान किया जाए तो 'ट्रैफिक' समरूपता दिनांक 01 जनवरी 2020 से काफी पहले भी प्राप्त की जा सकती थी।
60. इस टीएसपी ने यह भी तर्क दिया है कि 'ट्रैफिक' विषमता को बढ़ाकर दर्शाने के लिए मौजूदा ऑपररेटर फर्जी ढंग से वॉयरलाइन नम्बरों को मोबाइल नंबर के रूप में छिपाकर दर्शा रहे हैं और लाईसेंस शर्तों एवं विनियमों का उलंघन कर आईयूसी से कमा रहे हैं। अपने अलग निवेदन में, संपर्क केंद्रों द्वारा कथित तौर पर उपयोग किए जा रहे मोबाइल नंबरों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
61. इन हितधारकों के अनुसार, यदि वर्तमान समापन प्रभारों को बनाए रखा जाता है, तो विश्वभर में भारत इतिहास में सबसे अधिक खुदरा टैरिफ की तुलना में एमटीसी अनुपात होने का दुर्भाग्यपूर्ण गौरव प्राप्त करेगा। खुदरा मूल्य की तुलना में मोबाइल कॉल समापन चार्ज (आईयूसी) का अनुपात जर्मनी और जापान में 13 प्रतिशत, फ्रांस में 11 प्रतिशत, ब्रिटेन में 10 प्रतिशत और चीन में 1 प्रतिशत की तुलना में भारत में लगभग 46 प्रतिशत है।

(2) घरेलू वायरलेस कॉल समापन प्रभार के साथ जुड़ी कोई अन्य समस्या।


62. कुछ हितधारक, जो बीएके को लागू किए जाने तिथि को संशोधित करने के पक्ष में हैं, ने कहा है कि घरेलू एमटीसी को एक वर्ष या उससे अधिक के नियमित अंतराल पर संशोधित किया जाना चाहिए। जब तक प्रौद्योगिकियों और लागतों के संदर्भ में सभी टीएसपी को एक समान अवसर प्राप्त न हों, तब तक इसे कमी भी शून्य नहीं किया जाना चाहिए।
63. 'बिल एंड कीप' को लागू करने की किसी भी नई तिथि को केवल डाटा प्रवाह/ कॉल प्रवाह और तत्संबंधी असंतुलों का अध्ययन करने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए। कॉल सृजन और समापन के मिनट को मापने की बजाय, माप हेतु, सृजित किए गए और प्राप्त किए गए पैकेटों की संख्या एक बेहतर पैरामीटर होगा।
64. एक हितधारक, जो बीएके के लिए लागू तिथि को संशोधित करने के पक्ष में नहीं है, ने कहा है कि प्राधिकरण ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपी(एल) संख्या 2700 ऑफ 2017 में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रकरण में दायर किए गए अपने प्रति शपथपत्र में उल्लेख किया कि 0.06 रुपये प्रति मिनट के समापन प्रभारों का परिकलन करते हुए, उसने 2जी नेटवर्कों पर समाप्त हो रहे ऑफ-नेट इनकमिंग वॉइस एमओयू के 86 प्रतिशत पर विचार किया, 13 प्रतिशत 3जी नेटवर्कों पर और 4जी नेटवर्कों पर समाप्त हो रहे ऑफ-नेट इनकमिंग वॉइस कॉल के केवल 1 प्रतिशत पर ही विचार किया। अब, लगभग 40 से 45 प्रतिशत ऑफ-नेट इनकमिंग वॉइस एमओयू 4जी नेटवर्कों पर समाप्त हो रहे हैं। अब औसत भारतीय उपभोक्ता, जब आईयूसी की कीमतें निर्धारित की गई थी उसकी तुलना में, वॉइस के लिए काफी अधिक 4जी का उपयोग कर रहे हैं।
65. ऐसे देश जहां बीएके को पहले से ही अपनाया नहीं गया है उनमें मोबाइल कॉल समापन की दरों में कमी एक वैश्विक प्रवृत्ति है। बीएके को लागू नहीं किए जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वर्ष 2017 में निर्धारित किए गए (2016 के आंकड़ों के आधार पर) 6 पैसा/ मिनट के मौजूदा कॉल समापन प्रभार को जारी रखा जाए। अगर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बिल एंड कीप प्रणाली लागू करने को स्थगित किया तो लागत कारक काफी बदल जाएंगे और आईयूसी लागत मॉडलिंग अभ्यास को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। देश में थोक कॉल समापन दरों को पर्याप्त रूप से कम किए जाने की आवश्यकता है ताकि विश्वभर के बाजारों के रुझान के अनुरूप उन्हें खुदरा टैरिफ दरों के साथ संगत बनाया जा सके।

मुद्दे का विश्लेषण और प्राधिकरण का विचार

66. यह निर्विवाद है कि अगली पीढ़ी के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी अपनी पिछली पीढ़ी के सिस्टम और टेक्नोलॉजी की तुलना में अधिक कुशल हैं। एक बार ऑपररेटर अपने नेटवर्क को अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में अपग्रेड/रोलआउट कर लेते हैं और उपभोक्ता इसे महत्वपूर्ण तरीके से अपना लेते हैं तो प्रति यूनिट कॉल/डेटा की प्रोसेसिंग/हैंडलिंग की लागत भी समय के साथ कम हो जाती है। अभिसरण के इस युग में, जहां वायस, वीडियो, और डेटा संचार देने के लिए एक ही नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है, किफायत का पैमाने और स्कोप उत्पादों के प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक दूरसंचार बाजार में इन लाभों के शोषण की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें नीति और विनियम वातावरण को सक्षम करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा नेटवर्क का उन्नयन और उपभोक्ताओं द्वारा अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाया शामिल है।
67. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 डिजिटल संचार नेटवर्क के परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने के लिए – डिजिटल सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत के लोगों की बेहतर भलाई चाहती है। एनडीसीपी-2018 की दृष्टि "एक

सर्वव्यापी, लचीला, सुरक्षित, सुलभ और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना और सेवाओं की स्थापना के माध्यम से नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करना है; और इस प्रक्रिया में, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज की ओर अग्रसर करना है। इसके अलावा, एक्सेस सेवाओं के साथ-साथ स्पेक्ट्रम लाइसेंस प्रौद्योगिकी तटस्थ हैं और लाइसेंसधारियों द्वारा नवीनतम तकनीकों की तैनाती को सक्षम बनाता है। नए प्रवेशकों के लिए लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हैं। नेटवर्क रोलआउट रणनीतियों को ऑपरेटरों पर छोड़ दिया गया है। सरकार की ऐसी प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप पिछले दो दशकों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है।

68. दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियामक ढाँचा सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे परिचालन की दक्षता में सुधार होता है। समय के विभिन्न बिंदुओं पर बाजार में प्रवेश करने वाले सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करके, प्राधिकरण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी तटस्थ नीति के ढाँचे के भीतर उभरती तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है। अधिकांश विभिन्न दूरसंचार उत्पादों और सेवाओं के लिए टैरिफ की फोरबियरेंस, सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अपने टैरिफ प्लान तैयार करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी टैरिफ प्लान का चयन कर सकता है, या फिर अपना मोबाइल नंबर को बदले बिना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा का उपयोग करके, किसी अन्य प्रतिस्पर्धी ऑपरेटर द्वारा पेश किए गए किसी भी टैरिफ योजना का चयन कर सकते हैं। पारदर्शी तरीके से प्राधिकरण द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विकल्प और किफायती दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हैं।
69. टेलीकॉम एक गतिशील रूप से बदल रहा क्षेत्र है जहां भविष्य का कोई भी आकलन हमेशा बाजार में वास्तविक विकास के अधीन होता है। सेक्टरल विनियामक का उद्देश्य सेक्टर में हो रही गतिविधियों जैसे तकनीकी विकास, बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में बदलाव का बारीकी से निरीक्षण करना और यदि आवश्यक हो, तो हितधारकों से परामर्श कर हस्तक्षेप करना है। अतः पारदर्शी तरीके से हितधारकों के साथ वर्तमान परामर्श के रूप में उठाए गए प्राधिकरण का यह कदम अवैध या निवेशक के आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं हो सकता है। बल्कि, समय-समय पर उभरते हुए बाजार की परिस्थितियों के अनुसार विनियमों का पुनरीक्षण एक आवश्यक और प्रगतिशील कार्यावाही है तथा इससे प्रणाली में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। प्राधिकरण के मतानुसार, क्षेत्र की क्रमबद्ध और सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी तरीके से ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। मुख्य विनियमन में पहले से ही यह प्रावधान है कि प्राधिकरण किसी भी समय आईयूसी का पुनरीक्षण कर सकता है।
70. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान में 5 टीएसपी, जिसमें 3 निजी और 2 पीएसयू टीएसपी शामिल हैं, भारत में वायरलेस एक्सेस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन 5 टीएसपी में से, एक सिर्फ 4जी नेटवर्क ऑपरेटर है, दो निजी टीएसपी 2जी, 3जी और 4जी नेटवर्क के मिश्रण को संचालित करते हैं, और शेष 2 पीएसयू ऑपरेटरों के पास मुख्यतः 2जी और 3जी नेटवर्क हैं। सितम्बर 2019 के अंत तक, लगभग 1174 मिलियन मोबाइल उपभोक्ताओं में से 557 मिलियन 4जी डेटा उपभोक्ता तथा बचे हुए 617 मिलियन उपभोक्ता अभी भी 2जी/3जी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। आईयूसी का पुनरीक्षण करते समय इन दोनों उपभोक्ता अनुभागों के हितों को संतुलित करना आवश्यक है।
71. सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 3 निजी टीएसपी ने पहले ही वीओएलटीई सक्षम 4जी नेटवर्क व्यापक रूप में शुरू कर दिया है और उनके पास अपने 4जी नेटवर्क कवरेज का और विस्तार करने की योजना है। हाल ही में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के टीएसपी को भी 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, यह प्रतीत होता है कि, जल्द ही सभी वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाता ग्राहकों के लिए संपूर्ण भारत में 4जी सेवाओं की पेश करेंगे। नीचे दिए गये चित्र-1 में ऑपरेटरवार eNode-Bs(4G BTSs) की तैनाती की संख्या को दर्शाया गया है। यह चित्र इंगित करता है कि 4जी नेटवर्क का कवरेज/क्षमता लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा, यहां यह जानना भी प्रासंगिक है कि एक प्रमुख टीएसपी ने घोषणा की है कि निकट भविष्य में, वह पूरे भारत में अपने 3जी नेटवर्क संचालन को बंद कर देगा। आपूर्ति पक्ष के ये घटनाक्रम निश्चित रूप से ग्राहकों द्वारा 4जी तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे।




चित्र 1

स्रोत: टीएसपी द्वारा द्रष्ट को सूचित किया गया

72. हाल के दिनों में सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषित उपभोक्ता के पैटर्न और बाजार में मोबाइल उपकरणों की बिक्री के रुझानों के आधार पर मांग पक्ष का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा, ई-गवर्नेंस, टेली-एजुकेशन, नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स आदि जैसी ऑनलाइन सेवाओं पर उपभोक्ताओं की बढ़ती निर्भरता भी 4जी सेवाओं की मांग को बढ़ाएगी।
73. उपकरणों के बाजार में तकनीकी विकास पर एक करीबी नजर डालने से पता चलता है कि कई दूरसंचार सेवा उपभोक्ता उत्तरोत्तर 4जी सक्षम उपकरणों को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं काफी कुछ अभी भी 2जी/3जी सक्षम मोबाइल उपकरणों को पसंद कर रहे हैं। यह कुछ क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क कवरेज की अनुपलब्धता, गोपनीयता चिंताओं और 4 जी सक्षम उपकरणों की वहन क्षमता से संबंधित मुद्दों के कारण हो सकता है। चूंकि अब फीचर फोन भी 4जी तकनीक का समर्थन करते हैं, इसलिए 2जी /3जी मोबाइल उपकरणों को प्राथमिकता देने के लिए बैटरी लाइफ, उपयोग में सुविधा, फॉर्म फैक्टर आदि जैसे अन्य कारण अब प्रासंगिक कारण नहीं रह जाएंगे। इससे फीचर फोन पसंद करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा 4जी तकनीक को अपनाने की दर के और बढ़ने की संभावना है। भारत सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अनुसार, 2018-19 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय बाजार में 4जी और 2जी/3जी उपकरणों की बिक्री के बीच का अनुपात लगभग 2:1 था। हाल के वर्षों के रुझान विश्लेषण के अनुसार, भारतीय बाजार में उपकरणों की कुल बिक्री में 4जी सक्षम उपकरणों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, यहां यह बताया जाना भी आवश्यक है, कि अब उपभोक्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से 4जी तकनीक को अपनाने के लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं। आमतौर पर, कई उपभोक्ता हर 2-3 साल में अपने मोबाइल फोन को बदल देते हैं जबकि इन उपकरणों का उपयोगिता काल 5-6 वर्ष है। इस वास्तविकता ने सेकंड हैंड/रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन के लिए औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक बाजार को भी विकसित किया है और इसके फलस्वरूप 4जी मोबाइल फोन की उपभोक्ताओं की उपलब्धता व्यापक तौर पर बढ़ी है। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि, निकट भविष्य में, उपभोक्ताओं को वॉइस कॉल के लिए 4जी सक्षम उपकरणों का एडॉप्शन हाल के दिनों की तुलना में बहुत तेज होगा।
74. उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में, जबकि पिछले दो वर्षों के दौरान वायरलेस ग्राहकों की संख्या व्यावहारिक रूप से स्थिर रही है, 4 जी डेटा ग्राहकों की सहभागिता में लगातार वृद्धि हुई है। सितंबर 2019 के अंत तक, 4जी डेटा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 556.8 मिलियन हो गई। मोबाइल फोन के उपयोग के आधार पर, इन 556.8 मिलियन उपभोक्ताओं में से, कई उपभोक्ता पैकेट स्विचड नेटवर्क (वीओएलटीई) पर वॉइस कॉल प्राप्त कर सकते हैं। नोकिया एमबीआईटी इंडेक्स रिपोर्ट 2019¹ के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 के अंत में, भारत में, कुल एलटीई सक्षम डिवाइस में से, 83 प्रतिशत डिवाइस वीओएलटीई सक्षम थे। वीओएलटीई सक्षम उपकरणों की यह संख्या नेटवर्क अनुकूलता मुद्दों के कारण अलग-अलग ऑपरेटरों के लिए भिन्न हो सकती है।

¹ http://bestmediainfo.in/mailer/nl/nl/Nokia_MBiT_2019_FINAL.pdf

75. जहाँ मौजूदा सेवा प्रदाताओं ने तर्क दिया है कि उनके नेटवर्क में वीओएलटीई कॉल की हिस्सेदारी दूसरे स्लॉट प्रभाव के कारण काफी कम है अर्थात ज्यादातर 4जी सक्षम स्मार्टफोनों में दूसरा सिम स्लॉट केवल 2जी है और उनके सिम दूसरे स्लॉट में डाले जाते हैं। बाजार के केवल 4जी ऑपरेटर ने मौजूदा ऑपरेटरों के इस तर्क को नकारा है और कहा है कि केवल 3.8 प्रतिशत ऐसे मोबाइल डिवाइस (4जी + 2जी कॉन्फिगरेशन) उनके नेटवर्क में पंजीकृत हैं। बाजार के केवल 4जी ऑपरेटर के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं की इतनी कम संख्या उसके प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के वीओएलटीई ट्रैफिक पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकती है। चूंकि दोहरे सिम हैंडसेट कॉन्फिगरेशन के बारे में दो विरोधी हितधारकों के दावे व्यापक रूप से भिन्न हैं, इसलिए प्राधिकरण ने आईसीईए से डिवाइस बाजार के आंकड़ों की जांच करने का निर्णय लिया, जो इस डोमेन में काफी सक्रिय है। आईसीईए ने बताया है कि 2018-19 की बिक्री में ऐसे उपकरणों (4जी + 2जी कॉन्फिगरेशन) की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वीओएलटीई पर वॉइस ट्रैफिक के समापन के प्रतिशत तथा मौजूदा ऑपरेटरों के नेटवर्क में उपलब्ध 4जी उपकरणों के प्रतिशत के बीच का अंतर कम्पैटेबिलिटी मुद्दों के कारण हो सकता है। उत्तरोत्तर, 4जी + 2जी की कॉन्फिगरेशन की हिस्सेदारी बहुत तेजी से घट रही है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि 4जी + 4जी कॉन्फिगरेशन उपकरणों की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ, वीओएलटीई सक्षम 4जी उपकरणों के पंजीकरण में सुधार, पलैट दर टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं द्वारा एकल सिम को अपनाने और 4जी नेटवर्क कवरेज/गुणवत्ता में भी सुधार के चलते यह समस्या कुछ समय बाद प्रासंगिक नहीं रह सकती है।
76. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से कुछ ने तर्क दिया है कि उपभोक्ताओं द्वारा 4जी सेवाओं का ऐडॉप्शन समय के साथ कम हो रहा है, और तदनुसार उन्होंने अभी बीएके के क्रियान्वयन को अनिश्चितकाल तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में पिछले दो वर्षों की अवधि में कुल वायरलेस उपभोक्ताओं और 4जी डेटा उपभोक्ताओं के रूझान को दर्शाने वाला ग्राफ चित्र-2 में दिया गया है। यह चित्र इंगित करता है कि कुल वायरलेस उपभोक्ताओं में 4जी डेटा ग्राहकों की हिस्सेदारी लगभग रैखिक रूप से बढ़ी है। औसतन, पिछली आठ कैलेंडर तिमाहियों के दौरान, प्रत्येक तिमाही में लगभग 45 मिलियन उपभोक्ताओं ने 4जी तकनीक को अपनाया है। कुछ हितधारकों का तर्क है कि ग्राहकों द्वारा हाल ही में 4जी तकनीक को अपनाने में कमी आ रही है, सही नहीं है। इसके विपरीत, इसे और गति मिलने की उम्मीद है क्योंकि अब बाजार में अधिक किफायती 4जी उपकरण उपलब्ध हैं, पीएसयू ऑपरेटर भी 4जी सेवाओं को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे जिससे 4जी ऑपरेटरों के नेटवर्क कवरेज में और वृद्धि होगी, और ऑनलाइन सेवाओं पर उपभोक्ताओं की निर्भरता तेजी से बढ़ेगी।



चित्र 2

स्रोत: टीएसपी द्वारा ट्राई को सूचित किया गया

77. उनके तर्कों के समर्थन में कि बीएके के कार्यान्वयन की तारीख को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, दूरसंचार सेवा प्रदाता ने तर्क दिया है कि मौजूदा ऑपरेटरों ने पहले से ही तैनात बुनियादी ढांचे की लागत वसूल कर ली है और इसलिए वे ऑफ-नेट इनकमिंग कॉल का समापन करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं लगता है। इस संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूरसंचार नेटवर्क को संचालित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि प्योर एलआरआईसी का उपयोग कर आईयूसी का निर्धारण विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार यह तर्क सही नहीं है।

78. अपने संबंधित दृष्टिकोणों के समर्थन में, जबकि मौजूदा सेवा प्रदाताओं ने तर्क दिया है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भी प्रौद्योगिकी की तैनाती उपभोक्ताओं द्वारा उस तकनीक को अपनाने पर निर्भर है, सिर्फ 4जी टीएसपी का मत है कि मौजूदा ऑपरेटर अपने ग्राहकों को अपने स्वयं के लाभ के लिए नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन के अनुसार, मौजूदा ऑपरेटर इन 2जी-3जी ग्राहकों का टैरिफ की बहुत अधिक दरों की पेशकश कर उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें मिस्ड कॉल देकर अपने पक्ष में ट्रेफिक विषमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा, इस टीएसपी के अनुसार, मौजूदा ऑपरेटर ऐसे कृत्रिम रूप से प्रेरित ट्रेफिक विषमता के कारण आईयूसी प्राप्त करके खुद को समृद्ध कर रहे हैं। इन दावों का खंडन करते हुए, मौजूदा ऑपरेटरों ने तर्क दिया है कि चूंकि उपभोक्ता अपने टैरिफ प्लान और ऑपरेटर चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी ऑपरेटर उपभोक्ताओं को एक विशिष्ट टैरिफ प्लान या तकनीक चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। सिर्फ 4जी सेवाएं देने वाले टीएसपी के मिस्ड कॉल तर्कों का खंडन करते हुए, मौजूदा ऑपरेटरों ने तर्क दिया है इसके विपरीत, 4जी केवल टीएसपी ने आउटगोइंग कॉल के लिए रिगिंग समय को कम करके ऑफनेट ट्रेफिक पैटर्न को प्रभावित करने का प्रयास किया।
79. भारतीय मोबाइल दूरसंचार बाजार में, उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाताओं द्वारा दिए गए किसी भी टैरिफ प्लान को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, तथा वे अपने मोबाइल नंबर को बदले बिना अपने सेवा प्रदाता को बदल सकते हैं। प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं का विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उपभोक्ता यह चुन सकते हैं कि उनके लिए क्या उपयोगी और लाभप्रद है। यह इस तथ्य से प्रबलित है कि पिछले अकेले एक वर्ष के दौरान 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने एमएनपी की सुविधा का उपयोग किया है और अपने ऑपरेटरों को बदला है। यह दर्शाता है कि अगर कोई ऑपरेटर उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो उपभोक्ता अपनी इच्छा से ऑपरेटर बदल रहे हैं। इसके अलावा भी जब उपभोक्ता किसी भी ऑपरेटर या एक ऑपरेटर के किसी भी टैरिफ प्लान को चुनने के लिए सशक्त है, वो क्यों किसी ऐसे टैरिफ प्लान को जारी रखेगा जो किरायाती ना हों या किसी ऐसे ऑपरेटर से जुड़ा रहेगा जो उसकी जरूरतों को पूरा न करता हो। जहां तक मिस्ड कॉल द्वारा प्रेरित ट्रेफिक विषमता का सवाल है, यह एक यथार्तवादी धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि भारतवर्ष में कई ऐसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म विकसित किए गए हैं, जो उपभोक्ता प्राथमिकताओं को दर्ज करने के लिए मिस्ड कॉल का उपयोग करते हैं।
80. चूंकि, मोबाइल फोन आगे के लिए संगत नहीं हैं अर्थात 2जी/3जी फोन 4जी नेटवर्क में काम नहीं कर सकते हैं, पिछली पीढ़ी के तकनीकी यानी 2जी/3जी से उपभोक्ताओं का पारगमन अगली पीढ़ी की तकनीक यानी 4जी में धीरे-धीरे होगा और इस प्रकार कई पीढ़ी की तकनीकों का एक साथ नेटवर्क में होना उपभोक्ताओं की विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए आवश्यक है। जीएसएमए का प्रक्षेपण कि, 2022 तक लगभग 30 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता 2जी/3जी सेवाओं का उपयोग करते रहेंगे, वैध नहीं भी हो सकता है क्योंकि सरकार ने पीएसयू ऑपरेटर को भी 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने का निर्णय लिया है। अभी तक 557 मिलियन अर्थात् लगभग 47 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने पहले से ही 4जी तकनीक को अपना लिया है। आगे इस एडॉप्शन दर में और वृद्धि की संभावना है क्योंकि 4जी तकनीक के लिए पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व हो गया है, महत्वपूर्ण मात्रा प्राप्त हो चुकी है, उपयोग में आसानी में सुधार हुआ है, 4जी तकनीक के उपयोग की जानकारी शब्दों के माध्यम से बढ़ रही है और यह वहन करने योग्य हो गया है। मोबाइल उपकरणों एवं सेवाओं की वहन क्षमता में सुधार और पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व होने के उपरांत इस तरह के रुझान पहले भी अनुभव किए जा चुके हैं। उपभोक्ता के साथ-साथ उपकरण बाजार के रुझान से संकेत मिलता है कि अगले कैलेंडर वर्ष के अंत तक यानी 2020 में अधिकांश ग्राहक 4जी तकनीक को अपनाएंगे।
81. भारत में उच्च एमटीसी और अनुमानित रिटेल टैरिफ अनुपात 6:13 से संबंधित कुछ हितधारकों के तर्क कई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यहां प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बाजार अलग है और अलग-अलग विनियमों के तहत शासित है। भारत में, ऐतिहासिक रूप से, यह अनुपात समान स्तरों पर बना हुआ है। उदाहरण के लिए, 2017 में एमटीसी के संशोधन से ठीक पहले, यह अनुपात 14:27 था, और 2014 में, यह अनुपात 20:51 था।
82. इसके अतिरिक्त यह दर्शाया गया ट्रेफिक आंकड़ों का अनुमान प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है:
- $$\text{गृह सेवा क्षेत्र (गृ.से.क्षे.) से उपयोग के लिए औसत आउटगो प्रति आउटगोइंग मिनट} = (\text{किराये का राजस्व} + \text{गृ.से.क्षे. से लिए गए आउटगोइंग कॉल्स से प्राप्त राजस्व}) / \text{गृ.से.क्षे. से आउटगोइंग मिनट की संख्या}$$
- इस सूत्र का आउटपुट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर निर्भर करता है। यह अलग-अलग सेवा प्रदाता पर निर्भर करता है कि यह विभिन्न सेवाओं के बीच एक बंडल योजना के तहत प्राप्त मासिक शुल्क को कैसे विभाजित करता है, जो उस बंडल योजना का हिस्सा है। इसलिए, वर्तमान में, यहां उपयोग किए गए रिटेल टैरिफ आंकड़े सांकेतिक हैं और वास्तविक नहीं हैं क्योंकि इनकी गणना कुछ मान्यताओं के साथ की जाती है। यह मान्यता इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं हो सकती है। खासकर जब लगभग 40-50 प्रतिशत ग्राहकों ने प्लैट दर असीमित कॉल बंडल योजना की सदस्यता ली है, और ऐसे मामलों में, यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा बंडल टैरिफ योजना के मासिक शुल्क का कितना प्रतिशत वॉइस, डेटा, संदेशों या मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएस) पर खर्च किया जाता है।
83. कुछ हितधारकों का तर्क कि बीएके कार्यान्वयन की तिथि स्थगित करने से देश की तकनीकी प्रगति में विलंब होगा, तर्कसंगत नहीं है। प्रतिस्पर्धी नेटवर्कों का कंजेशन मुक्त अंतरसंयोजन कर प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया है। बाजार की प्रभावी प्रतियोगिता ने नेटवर्कों के उन्नयन की आवश्यकता महसूस कराई है। साथ ही, चूंकि नई तकनीक वाले नेटवर्क का


प्रयोग करके दी जाने वाली सेवाएं हमेशा किरायेदार होती हैं, प्रत्येक सेवा प्रदाता भारतवर्ष के प्रचलित बाजार संरचना में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हैं। यह 4जी बीटीएस सांख्यिकी में प्रतिबिम्बित है, जो यह दर्शाता है कि नेटवर्क का उन्नयन लगातार हो रहा है। तब भी अगर कोई टीएसपी उपभोक्ताओं के मांग के अनुसार नेटवर्क अपग्रेड नहीं करता है, तो उपभोक्ता को दूसरे ऑपरेटर में स्विच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

84. यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि उपभोक्ताओं के डेटा खपत में बढ़ोत्तरी के साथ टीएसपी के राजस्व में डेटा राजस्व का हिस्सा बढ़ रहा है और वॉइस राजस्व का हिस्सा घट रहा है। इसके अलावा, मोबाइल एक्सेस सेवा प्रदाताओं के मामले में, उनके कुल राजस्व का 5 प्रतिशत से कम हिस्सा ऑफ-नेट कॉल से प्राप्त आईयूसी के राजस्व से आता है। अब अर्जित किए गए राजस्व का इतना छोटा प्रतिशत पहले से तैनात नेटवर्क अपग्रेड नहीं करने के निर्णायक कारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसी तरह, प्योर एलआरआईसी मॉडल में, एमटीसी की गणना के लिए माना जाने वाला परिहार्य लागत एक ऑपरेटर के कुल परिचालन व्यय का एक बहुत छोटा अंश है। जहां तक कुल परिचालन व्यय में आईयूसी लागत के अनुपात का सवाल है, सीपीपी प्रणाली में, प्रारंभकर्ता ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं से इसकी वसूली कर सकता है। प्राधिकरण को दूसरे संदर्भ में दिए गए एक संवाद में, केवल 4जी ऑपरेटर ने यह बताया है कि उपभोक्ताओं से समापन शुल्क की वसूली करना या नहीं करना या अपने टैरिफ से बरामद किया गया अधिशेष उसका वाणिज्यिक निर्णय है। इसलिए, किसी भी ऑपरेटर का अधिकांश राजस्व और खर्चों का संबंध अपने स्वयं के उपभोक्ताओं से है। इसलिए, यह किसी भी सेवा प्रदाता के हित में है कि वह पुराने नेटवर्क को बंद करे, क्योंकि प्रति ग्राहक सेवा देने की लागत उस नेटवर्क का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी के साथ बढ़ती रहती है। यह एक टीएसपी के निर्णय से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें उसने जल्द ही अपने 3जी नेटवर्क को बंद करने का फैसला किया है। किसी ऑपरेटर को किसी विशेष सेवा या प्रौद्योगिकी का चयन करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना एक विशुद्ध रूप से व्यावसायिक निर्णय है, और इसलिए प्राधिकरण की मानी हुई राय है कि इसे इस स्तर पर टीएसपी पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
85. पहले से तैनात नेटवर्क को बंद करने के मामले में, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विनियम² पर आईटीयू की हालही में जारी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया है कि 'मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स (एमएनओ) द्वारा पुराने नेटवर्क को बंद करने के फैसले' कई कारणों द्वारा संचालित हैं। 4जी/एलटीई की बेहतर स्पेक्ट्रल एफिसिएंसी तथा फ्री-अप फ्रिक्वेंसी का उपयोग करने में सक्षम होना और केरियर एग्रीगेशन के माध्यम से (i) वायरलेस ब्रॉडबैंड कवरेज (जैसे एलटीई900) और (ii) बैंडविड्थ की गति बढ़ाना, इत्यादि शामिल है। आईटीयू के अनुसार, 4जी/एलटीई नेटवर्क 2जी या 3जी नेटवर्क की तुलना में काफी अधिक नेटवर्क दक्षता तथा कम नेटवर्क कैपेक्स और ओपेक्स लागत की पेशकश करते हैं। जबकि एशिया में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें रेगुलेटर के द्वारा तकनीक को स्विच ऑफ कराया गया है, वहीं दूसरी तरफ अधिकांश देश के बाजारों में यह एमएनओ निर्णय करता है कि उसे पुराने नेटवर्क को कवरेज या किसी अन्य कारण से कब बंद करना है। प्रौद्योगिकी तटस्थ आईएमटी स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ संगत, 2जी और 3जी सेवाओं को बंद करने का निर्णय एमएनओ पर छोड़ देना चाहिए और यह निर्णय व्यावसायिक होना चाहिए।
86. चूंकि भारत में, लाइसेंसर के साथ-साथ प्राधिकरण ने अब तक प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण का पालन किया है और अधिकांश आईएमटी स्पेक्ट्रम आवंटन को उदारीकृत किया गया है, प्राधिकरण के मत में इस स्तर पर, नेटवर्क के अपग्रेडेशन और पुराने नेटवर्क को बंद करने की गति को तय करना बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। चूंकि यह ऑपरेटरों का विकल्प है कि वे अपने नेटवर्क के अपग्रेडेशन की गति तय करें, केवल सर्किट स्विच नेटवर्क पर समाप्त होने वाली ऑफनेट कॉल के लिए आईयूसी की उनकी मांग उचित नहीं है।
87. कुछ हितधारकों का तर्क है कि बीएके के कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाने से फ्री वॉइस रिजीम समाप्त होने और टैरिफ बढ़ने की संभावना है। दोनों ही तर्क वास्तविकता से बहुत दूर हैं क्योंकि कुछ भी मुफ्त नहीं आता है, और प्रतिस्पर्धी बाजार में टैरिफ से संबंधित निर्णय कई कारणों पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे संदर्भ में केवल 4जी ऑपरेटर ने प्राधिकरण को यह बताया है कि एक वाणिज्यिक निर्णय के रूप में वो अपने डेटा आधारित टैरिफ से बरामद किए गए अधिशेष में अपनी समापन लागत को अवशोषित कर रहा है। असल में प्राधिकरण के बीएके कार्यान्वयन संशोधन के निर्णय के पहले भी अधिकांश सेवा प्रदाता ने टैरिफ को बढ़ाया है। यह विशेष उदाहरण यह दर्शाता है कि टैरिफ बदलने के निर्णय का आईयूसी दर के साथ कोई संबंध नहीं है। चूंकि प्राधिकरण बाजार में सभी को समान अवसर और प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर रहा है, इसलिए मोबाइल सेवाओं के लिए टैरिफ के अनुकूल स्तर की खोज बाजार की शक्तियों का एक कार्य होगा।
88. दिनांक 01.01.2020 से बीएके के कार्यान्वयन के पक्ष में, 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहुत जोर दिया गया है। गलत निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने के लिए पूरे संदर्भ का आकलन किया जाना चाहिए। वास्तव में, अपने सभी फायदों के साथ बीएके को ऐसे वातावरण में लाया जा सकता है जहां ट्रेफिक प्रवाह सिमेट्रिक या सिमेट्रिक के करीब है। उस समय भी प्राधिकरण ने महसूस किया था कि विशेष रूप से समापन प्रभार व्यवस्था के वर्तमान के निम्न स्तरों की वजह से नए और मौजूदा

² https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_5Sep2019FNL.pdf

ऑपरेटरों के बीच ट्रैफिक प्रवाह के विषमता में संतुलन बनाने में 2 साल (उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से) और लगेंगे। उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद, पिछले पांच वर्षों में एमटीसी दरों को दो बार कम किया गया है।

89. जहां तक ट्रैफिक विषमता का सवाल है, यह निजी सेवा प्रदाताओं के बीच कम हो रहा है लेकिन सिमेट्रिक के करीब नहीं है। इसके अलावा, पीएसयू ऑपरेटरों के मामले में ट्रैफिक विषमता अपेक्षाकृत अधिक है। चित्र- 3 में नीचे दिखाए गए ग्राफ में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।



चित्र- 3

स्रोत: टीएसपी द्वारा ट्राई को सूचित किया गया

90. मिस्ड कॉल, रिंग की अवधि और वायरलाइन नम्बर को मोबाईल नम्बर दर्शाना ताकि ट्रैफिक पैटर्न गलत ढंग से प्रस्तुत हो, से संबंधित विवाद जिसकी अभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जांच चल रही है, वर्तमान मुद्दे जो अभी चर्चा में है, से भिन्न है और इन पर अलग से विचार किया जाएगा।
91. जबकि मौजूदा ऑपरेटरों ने बीएके के कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में तर्क दिया है, सिर्फ 4जी सेवाएँ देने वाले टीएसपी और अन्य उपभोक्ता संगठनों/उपभोक्ताओं ने पहले से ही अधिसूचित की गई तारीख यानी 01.01.2020 से बीएके के कार्यान्वयन के पक्ष में दृढ़ता से तर्क दिया है। बहुत सारे उपभोक्ता संगठनों/उपभोक्ताओं ने पहले ही अधिसूचित तिथि यानी 01.01.2020 से बीएके के कार्यान्वयन का अनुरोध करते हुए, कॉल दरों में वृद्धि के बारे में उनकी आशंकाओं को दर्शाते हुए लगभग समान अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
92. हालांकि यह सच हो सकता है कि बीएके के कार्यान्वयन के लंबे समय में अपने फायदे हैं और आईयूसी विनियम, 2017 के संलग्न ईएम में वर्तमान समय में 4जी तकनीकों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वॉइस कम्प्यूनिकेशन को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे उन लाभों को पहले ही इंगित किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा, इस समय, बीएके को पहले से अधिसूचित तिथि यानी 01.01.2020 से लागू करना उचित नहीं होगा। 01.01.2020 से बीएके का कार्यान्वयन, ट्रैफिक में मौजूद विषमताओं और उपभोक्ताओं द्वारा 4जी तकनीकों को प्रचुरता में नहीं अपनाने के साथ, सेवा प्रदाताओं के बीच के समान अवसर को प्रभावित कर सकता है और बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बदल सकता है। ऐसे पूंजी-गहन क्षेत्र में, जिसको कार्यान्वयन करने में लंबी अवधि लगती है और जहां अल्पावधि में नए सेवा प्रदाताओं का प्रवेश मुश्किल होता है, उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा बनाए रखना आवश्यक है।
93. इसके अतिरिक्त, लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ता जो अभी भी 2जी/3जी तकनीक और उनमें से अधिकांश पे-पर-यूज योजना में जुड़े हुए हैं, वो सामान्यतः पिरामिड के निचले हिस्से में हैं। आमतौर पर, ये उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार ज्यादा इनकमिंग और कम आउटगोइंग कॉल करते हैं। बीएके कार्यान्वयन से इन बहुसंख्यक उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन उपभोक्ताओं को सस्ती सेवा सुनिश्चित करने और उन्हें अपने मोबाइल उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इस स्तर पर प्राधिकरण के विचार में लागत आधारित एमटीसी को कुछ समय तक जारी रखना जरूरी है।
94. उनकी टिप्पणियों के माध्यम से व्यक्त किए गए ग्राहकों की आशंकाएं हमेशा वैध नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश दूरसंचार बाजार के कामकाज की पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं, जहां सेवाओं के वहन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटरों के बीच समान अवसर और प्रभावी प्रतिस्पर्धा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यदि एक टीएसपी द्वारा इंगित किए अनुसार कैलेंडर वर्ष

2020 के दौरान ट्रैफिक विषमताएं नगण्य हो जाती हैं, तो बीएके के कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाना किसी भी सेवा प्रदाता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि शुद्ध आईयूसी प्रभार, जो कि शुद्ध एकत्रित कॉल अवधि और एमटीसी दर का उत्पाद है, महत्वहीन हो जाएगा।

95. बाजार में नवीनतम घटनाक्रमों के आधार पर, निजी ऑपरेटरों द्वारा 4जी नेटवर्क का विस्तार, पीएसयू ऑपरेटरों द्वारा 4जी नेटवर्क बढ़े स्तर पर लगाना, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के रुझान, 4जी मोबाइल उपकरणों की बढ़ती हुई वहन क्षमता, 4जी फीचर फोन की उपलब्धता और बढ़ते हुए कॉल वॉल्यूम के आधार पर यह उम्मीद है कि 2020 के अंत तक अधिकांश उपभोक्ता 4जी सेवाओं को अपना लेंगे और तदोपरांत अधिकतम ऑफनेट टरमिनेटिंग वॉइस कॉल ट्रैफिक को वीओएलटीई सक्षम पैकेट स्विच नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाएगा, और कॉल को समाप्त करने का प्योर लॉन्ग रन इंफ्रीमेंटल कॉस्ट (प्योर एलआरईसी) 4जी वीओएलटीई प्रौद्योगिकी को अपनाने में वृद्धि और कॉल वॉल्यूम को बढ़ाने के साथ घटेगा।
96. इसके अतिरिक्त, ट्रैफिक विषमता में कमी बीएके के कार्यान्वयन के लिए एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तथापि पिछले अनुभवों के मद्देनजर, ट्रैफिक संतुलन अकेला पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह समय के साथ और बाजार के अन्य विकास जैसे कि तकनीक में बदलाव, खुदरा टैरिफ, ऑपरेटर की प्रगति, ऑपरेटर के उपभोक्ताओं की जनसांख्यिकी आदि के साथ बदलता रहेगा। एक टीएसपी का तर्क कि बीएके पर तभी विचार किया जा सकता है जब ट्रैफिक समरूपता $\pm 2\%$ के दायरे में हो, मल्टी-ऑपरेटर मार्केट के लिए तर्कसंगत नहीं है, लंबे समय के लिए ऐसी संपूर्ण समरूपता लगभग असंभव है।
97. इसलिए 2020 के अंत तक जब टीएसपी के बीच ट्रैफिक विषमता के घटे हुए स्तर के कारण कम शुद्ध कॉल की अवधि को वीओएलटीई के अधिकाधिक उपयोग के कारण घटे हुए कॉल समापन लागत से गुणा किया जाएगा तो आईयूसी से प्राप्त परिणामी शुद्ध आय नगण्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में, ऑपरेटरों के लिए ट्रैफिक प्रवाह को मापना, उस का लेखा-जोखा रखना, एक-दूसरे की बिलिंग करना और फिर उसका हिसाब-किताब करना आर्थिक रूप से अक्षम हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आयुसी बिलिंग और लेखांकन की लागत आयुसी की शुद्ध आय से अधिक हो सकती है। ऐसे परिदृश्य में, यह अप्रासंगिक हो जाता है कि किसी अन्य देश ने सीपीपी प्रणाली में बीएके को अनिवार्य किया है या नहीं।
98. उपभोक्ताओं के हितों के साथ उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण का मानना है कि बीएके के कार्यान्वयन की तारीख को 12 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और यह 01.01.2021 से लागू हो।
99. कुछ हितधारकों ने तर्क दिया है कि बीएके को लागू करने की तारीख के स्थगन के मामले में, मौजूदा एमटीसी रेट यानी 6 पैसे प्रति मिनट का भी पुनरीक्षण किया जाए। उनका तर्क है कि पिछले 2-3 वर्षों की अवधि में 4जी वीओएलटीई ट्रैफिक की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और तदनुसार विभिन्न तकनीकी नेटवर्क में समापन की लागत का वेटिड योग भी कम होगा। इन हितधारकों के अनुसार, प्रति मिनट वॉइस कॉल समाप्ति की संशोधित लागत लगभग 1 से 4 पैसे के बीच आ सकती है। मौजूदा निजी ऑपरेटरों ने दावा किया है कि कॉल समापन करने की लागत 6 पैसे/मिनट से कहीं अधिक है। पीएसयू ऑपरेटरों ने प्रत्येक सेवा प्रदाताओं की वास्तविक लागत के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
100. प्राधिकरण ने हितधारकों के उपर्युक्त तर्कों, दिनांक 01.01.2021 से बीएके के कार्यान्वयन के पहले उपभोक्ताओं द्वारा 4जी सेवाओं के अपेक्षित ऐडॉप्शन, टीएसपी के बीच ट्रैफिक विषमताओं का स्तर और एमटीसी की दरों में संशोधन से संबंधित पिछले चलन पर विचार किया। एमटीसी की दरों का संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें नेटवर्क, ट्रैफिक और लागत से संबंधित डेटा संग्रह करने की शुरुआत से साधारणतः लगभग 8-9 महीने लगते हैं। यह देखा गया है कि भारत में, ऐसे संशोधनों पर आमतौर पर लगभग तीन वर्षों में विचार किया जाता है। चूंकि अब बीएके को 01.01.2021 से लागू किया जाना है, इस तिथि तथा 01.10.2017 (जबसे वर्तमान एमटीसी दर लागू हैं) के बीच केवल तीन साल और तीन महीने का समय है। इसलिए प्राधिकरण का यह मत है वॉयरलेस से वॉयरलेस घरेलू कॉल के लिए बीएके का 01.01.2021 से कार्यान्वयन के पहले इस व्यापक और जटिल प्रक्रिया को शुरू करना सार्थक नहीं होगा।